राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 23/2010/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सनरेज इंजीनियर्स प्रा0 लिमिटेड, भिवाड़ी. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री बी. डी. गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 27/01/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 278/उपा–अल/आरएसटी/99–00/09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2009 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.05.99 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.05.99 को वाहन संख्या आर.जे.02/जी–2775 को गुजरात से भिवाड़ी के लिये आयरन शीट परिवहनित करते हुए रीको चैकपोस्ट भिवाड़ी में चैक किया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, हज़ीरा, सूरत (गुजरात) का इन्वॉयस संख्या 102061 व 102062 दिनांक 3.5.99, बिल्टी संख्या 010722 व 010723 दिनांक 3.5.99 एवं गुजरात विक्रय कर विभाग का प्रपत्र 45–ए प्रस्तुत किये। वाहन में परिवहनित अधिसूचित श्रेणी के माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानते हुए माल को निरूद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक जवाब प्रस्तुत करते हुए घोषणा–पत्र एस.टी.18ए संख्या 11437/02 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि

लगातार.....2

उक्त घोषणा—पत्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर रह जाने के कारण वक्त जांच पेश नहीं किया जा सका, जो अब पेश किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं घोषणा—पत्र को मिथ्या एवं पश्चातवर्ती सोच का परिणाम मानते हुए अस्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 14.5.99 पारित करते हुए शास्ति रूपये 1,56,578/— का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र को स्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल के साथ इन्वॉयस, बिल्टी व गुजरात सरकार का प्रपत्र 45—ए मौजूद था तथा भूलवश घोषणा—पत्र एस.टी.18ए ट्रांसपोर्ट कम्पनी में ही रह गया, जो वक्त जांच सशक्त अधिकारी को पेश नहीं किया जा सका। उक्त दस्तावेज प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया। आयातित माल प्रत्यर्थी का कच्चा माल है, जिसके लिये घोषणा—पत्र एस.टी.18ए की अनिवार्यता भी नहीं थी। अतः प्रकरण में उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी. मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.99 को वाहन चैक किये जाने पर माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाया गया। इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत कर दिया गया एवं वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी बता दिया गया। उक्त घोषणा–पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त दस्तावेज कारण बताओ नोटिस की पालना में नया तैयार किया गया है, बल्कि संव्यवहार से पूर्व अस्तित्व में था, जो कि भूलवश ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर रह जाने से वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल से सम्बन्धित पहले से अस्तित्व में एवं मौजूद घोषणा पत्र के दस्तावेज को सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मैटल्स [(2001) 124 एस. टी.सी. 611]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है।

8. उक्त विवेचन के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पहले से अस्तित्व में मौजूद जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए को जांच के बाद मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 27-04-2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य